आज्ञा प

28/08/25 पत्रावली पेश हुई। उच्च पदा अधि. उप। प्रकरण में मूल का वाद का निस्तारण हो चुका है. ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहता है. ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है. पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा